

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी— औमप्रकाश, वर्मा आर.ए.एस.
 राजस्व वाद संख्या : 99 /2020
 निर्णय दिनांक : 21.07.2025
 जीसीएमएस क्रमांक: 2021 /00132

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा

1. किशनसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत उम्र 58 वर्ष निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
2. नारायणसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत उम्र 68 वर्ष निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
3. स्व0. सुप्यार कंवर पत्नी स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत उम्र 66 वर्ष निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
4. रामपालसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत उम्र 26 वर्ष निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
5. पाबूसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत उम्र 79 वर्ष निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
2. शंकरसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
3. सोहन कंवर पत्नी स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत उम्र 61 वर्ष निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
4. राजूसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत उम्र 39 वर्ष निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
6. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा छापर
7. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा छापर

.....प्रतिवादीगण



प्रतिष्ठित :-

1. श्री रजनीकान्त सोनी, एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. श्री मोहनलाल बिशु, एडवोकेट व श्री ओमप्रकाश घोटिया प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से।
3. तहसीलदार सुजानगढ़ परोकारराज।
4. श्री दिनेश कुमार दाधीच, अधिवक्ता बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा छापर की ओर से।


 उप खण्ड अधिकारी
 सुजानगढ़

—: निर्णय :-

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी के रोही ग्राम बोधियाबास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.) खेत ख.नं. 113 तादादी 0.0252 हैक्टेयर, ख.नं. 114 तादादी 1.4162 हैक्टेयर, ख.नं. 116 तादादी 1.5174 हैक्टेयर, ख.नं. 116/264 तादादी 0.0252 हैक्टेयर, ख.नं. 117 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, ख.नं. 118 तादादी 0.0632 हैक्टेयर, ख.नं. 125 तादादी 2.1623 हैक्टेयर, ख.नं. 194 तादादी 3.5153 हैक्टेयर, ख.नं. 198 तादादी 1.8967 हैक्टेयर, ख.नं. 199 तादादी 3.8693 हैक्टेयर, ख.नं. 200 तादादी 1.9473 हैक्टेयर, ख.नं. 63 तादादी 10.7230 हैक्टेयर, ख.नं. 77 तादादी 7.8399 हैक्टेयर, ख.नं. 91 तादादी 9.2182 हैक्टेयर कुल किता चवदह कुल तादादी 44.4721 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वाद में दर्शित वंशवृक्ष के अनुसार उपरोक्त खातेदारान संयुक्त रूप से वादगत खेतों को काशत करते आये हैं, लेकिन अब उनका परिवार बढ़ गया है व कुछ खेत आबादी के नजदीक भी आ गये हैं। पक्षकारान को समय-समय पर बैंको से लोन लेना पड़ता है। पक्षकारान के बीच बंटवारा सहमति से नहीं हो पा रहा है। अब पक्षकारान एक साथ संयुक्त रूप से काशत नहीं कर सकते हैं, ऐसी सुरत में न्यायालय की सहायता से कृषि भूमि का विभाजन करवाना आवश्यक हो गया है। दिनांक 15.07.2020 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने विभाजन करवाने से इंकार कर दिया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4, वादीगण को तंग-परेशान करते हैं व वादीगण के हिस्से को अन्य को विक्रय, हस्तान्तरित कर देंगे व तुम्हें कोई हिस्सा नहीं करने देगे, काशत नहीं करने देंगे। यही वाद कारण है व वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अन्त में अनुतोष में वादीगण ने दावा डिक्री कर वादगत भूमि में से वादी सं. 1 व 2 को 1/6 हिस्सा तथा वादी सं. 3 व 5 को 1/18 हिस्सा अलग कर उक्त हिस्से की अलग खातेदारी अंकित कायम किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये चिर-व्यादेश पाबन्द किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से श्री मोहनलाल बिशु, एडवोकेट व श्री ओमप्रकाश घोटिया एडवोकेट उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 5 की ओर से तहसीलदार पैरोकारराज उपस्थित आये। दौराने दावा वादी सं. 3 का स्वर्गवास हो जाने पर वादी सं. 3 के वारिसान वादी सं. 3 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र कायम मुकाम प्रस्तुत कर वादी सं. 3 के नाम के आगे लाल स्याही से स्वर्गीय शब्द अंकित करने का निवेदन किया, जिस पर वादी सं. 3 के नाम के आगे लाल स्याही से स्वर्गीय शब्द अंकित किया गया। दौराने दावा वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश-1 नियम 10 सीपीसी का बैंक को पक्षकार बनाने हेतु पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर तलब किया। वादी सं. 1, 2, 4 व 5 व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो तस्दीक कर शामिल मिशल किया गया। राजीनामा के साथ पक्षकारान ने समस्त खसरान के विभाजन के अनुसार नजरिये नक्शा पेश किये गये हैं। प्रतिवादीगण सं. 5 पैरोकारराज द्वारा राज्य हित निहित नहीं होना अंकित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 7 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपर की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार दाधीच ने हाजिर आकर



डा. ६५
उप-खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

बैंक के हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय करें तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। बावजूद विधिवत नोटिस तामील प्रतिवादी संख्या 06 असालतन व वकालतन न्यायालय में हाजिर नहीं आये इस कारण उनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य वादी में रामपालसिंह के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये व साक्ष्य प्रतिवादी में राजूसिंह का साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनी चाही। वादी रामपालसिंह की ओर वाद के समर्थन में रोही ग्राम बोधियावास के जमाबन्दी खाता संख्या 134 प्रदर्श-1, नक्शा रोही मौजा ग्राम बोधियावास ख.नं. 113 प्रदर्श-2, ख.नं. राजीनामा प्रदर्श 03 प्रदर्शित करवाये गये हैं।

पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। वादीगण सं. 1, 2, 4 व 5 व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने राजीनामा में पक्षकारान ने उल्लेख किया है कि वादी, प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का आपस में मौखिक बंटवारा कर रखा है। मुताबिक मौखिक बंटवारा के वादीगण व प्रतिवादीगण ने निम्नानुसार विभाजन करवाने चाहते हैं :-

वादी सं. 1 किशनसिंह के हिस्से व पांति की भूमि निम्न है :-

ख.नं.	तदादी
194 मीन	1.3527 हैक्टेयर
198 मीन	0.7456 हैक्टेयर
199 मीन	2.2885 हैक्टेयर
200 मीन	1.3194 हैक्टेयर
63 मीन	1.2645 हैक्टेयर
125 मीन	0.1487 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.1954 हैक्टेयर

वादी सं. 2 नारायणसिंह के हिस्से व पांति की भूमि निम्न है :-

ख.नं.	तदादी
77 मीन	2.5835 हैक्टेयर
91 मीन	3.1130 हैक्टेयर
63 मीन	1.1130 हैक्टेयर
116 मीन	0.1395 हैक्टेयर
125 मीन	0.1487 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.1737 हैक्टेयर

वादी सं. 4 रामपालसिंह व वादी सं. 5 पाबूसिंह के हिस्से व पांति की भूमि निम्न है :-

ख.नं.	तदादी
63 मीन	7.0265 हैक्टेयर
116 मीन	0.1395 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.1660 हैक्टेयर

प्रतिवादी सं. 1 भंवरसिंह के हिस्से व पांति की भूमि निम्न है :-

ख.नं.	तदादी
194 मीन	2.1626 हैक्टेयर
198 मीन	1.1511 हैक्टेयर
199 मीन	1.5808 हैक्टेयर
200 मीन	0.6279 हैक्टेयर
125 मीन	1.5676 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.0900 हैक्टेयर



उपखण्ड अधिकारी
बुजानगर

प्रतिवादी सं. 2 शंकरसिंह के हिस्से व पांति की भूमि निम्न है :-

ख.नं.	तदादी
77 मीन	3.8908 हैक्टेयर
91 मीन	1.7741 हैक्टेयर
113	0.0252 हैक्टेयर
117	0.2529 हैक्टेयर
116/264	0.0252 हैक्टेयर
118	0.0632 हैक्टेयर
125 मीन	0.1486 हैक्टेयर
116 मीन	1.0989 हैक्टेयर
63 मीन	0.0545 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.4094 हैक्टेयर

प्रतिवादी सं. 3 सोहन कंवर व प्रतिवादी सं. 4 राजूसिंह के हिस्से व पांति की भूमि निम्न है:-

ख.नं.	तदादी
77 मीन	1.3656 हैक्टेयर
91 मीन	4.3311 हैक्टेयर
63 मीन	1.2645 हैक्टेयर
116 मीन	0.1395 हैक्टेयर
125 मीन	0.1487 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल	7.3254 हैक्टेयर

वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त हिस्से-पांति की भूमि भंवरसिंह पुत्र सवाईसिंह हिस्सा 1/6 राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर, किशनसिंह, नारायणसिंह, शंकरसिंह पि. सवाईसिंह 3/6 हिस्सा राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छापर, सोहन कंवर पत्नी किशोरसिंह, राजूसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा 1/6 राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर, रामपालसिंह, पाबूसिंह पुत्रगण गिरधारीसिंह 1/6 राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर ख.नं. 114 बा.दो. मीन तादादी 1.1122 हैक्टेयर जो हिस्से अनुसार सभी के शामिलता खाते में रहेगी।

राजीनामा में पक्षकारान ने अतः में निवेदन किया, कि राजीनामा में वर्णितानुसार हिस्से व पांति की भूमि का खाता विभाजन कर हमारे नाम से अलग से खातेदारी अंकित कर लगान कायम करें व गा डिफ्री फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादगत खेतों का राजस्व रिकार्ड व वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों व राजीनामों का अवलोकन किया गया। उक्त वाद खाता विभाजन का है, खाता विभाजन के वाद में पक्षकारान द्वारा राजीनामा में अपने-अपने हिस्से व कब्जे अनुसार खाता विभाजन करने का अंकन किया है। वाद में राजीनामा की स्थिति को देखते हुये राजीनामा के अनुसार वादी का वाद अंतिम रूप से डिफ्री किया जाना उचित समझते हैं।



3.17
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

अतः दावा वादीगण अंतिम रूप से डिक्री कर खाता इस प्रकार विभाजित किया जाता है।

1. वादी किशनसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छपर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोथियावास

ख.नं.	तदादी
194 मीन	1.3527 हैक्टेयर
198 मीन	0.7456 हैक्टेयर
199 मीन	2.2885 हैक्टेयर
200 मीन	1.3194 हैक्टेयर
63 मीन	1.2645 हैक्टेयर
125 मीन	0.1487 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.1954 हैक्टेयर

2. वादी नारायणसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छपर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोथियावास

ख.नं.	तदादी
77 मीन	2.5835 हैक्टेयर
91 मीन	3.1130 हैक्टेयर
63 मीन	1.1130 हैक्टेयर
116 मीन	0.1395 हैक्टेयर
125 मीन	0.1487 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.1737 हैक्टेयर



वादी सं. 4 रामपालसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा 1/2 व वादी सं. 5 पाबूसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा 1/2 राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छपर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोथियावास

ख.नं.	तदादी
63 मीन	7.0265 हैक्टेयर

116 मीन	0.1395 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.1660 हैक्टेयर

4. प्रतिवादी सं. 1 भंवरसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोधियावास

ख.नं.	तदादी
194 मीन	2.1626 हैक्टेयर
198 मीन	1.1511 हैक्टेयर
199 मीन	1.5808 हैक्टेयर
200 मीन	0.6279 हैक्टेयर
125 मीन	1.5676 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.0900 हैक्टेयर

5. प्रतिवादी सं. 2 शंकरसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छापर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोधियावास

ख.नं.	तदादी
77 मीन	3.8908 हैक्टेयर
91 मीन	1.7741 हैक्टेयर
113	0.0252 हैक्टेयर
117	0.2529 हैक्टेयर
116/264	0.0252 हैक्टेयर
118	0.0632 हैक्टेयर
125 मीन	0.1486 हैक्टेयर
116 मीन	1.0989 हैक्टेयर
63 मीन	0.0545 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.4094 हैक्टेयर

6. प्रतिवादी सं. 3 सोहन कंवर पत्नी स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा 1/2 राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर



- प्रतिवादी सं. 4 राजूसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा 1/2 राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोधियावास

ख.नं.	तदादी
77 मीन	1.3656 हैक्टेयर
91 मीन	4.3311 हैक्टेयर

63 मीन	1.2645 हैक्टेयर
116 मीन	0.1395 हैक्टेयर
125 मीन	0.1487 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल	7.3254 हैक्टेयर

7. यह कि ख.नं. 114 तादादी 1.4162 है० में से मीन तादादी 1.1122 हैक्टेयर रोही ग्राम बोधियावास का 1/6 हिस्सा वादी सं. 1 किशनसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छपर, 1/6 हिस्सा वादी सं. 2 नारायणसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छपर, 1/12 हिस्सा वादी सं. 4 रामपालसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु व 1/12 हिस्सा वादी सं. 5 पाबूसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छपर, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 भंवरसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छपर, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 शंकरसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छपर, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 सोहन कंवर पत्नी स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छपर व 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 राजूसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छपर रखी जाती है। बैंक के हित को प्रभावित नहीं किया जाये तथा वर्तमान में किसी खातेदार द्वारा ऋण चुकता कर दिया गया है तो उसके रहन दर्ज नहीं किया जावे।
8. प्रतिवादी सं. 5 को आदेशित किया जाता है, कि मुताबिक निर्णय व राजीनामा के साथ नक्शों के दर्शितानुसार राजस्व रिकार्ड का विभाजन कर लगान कायम करें व नक्शे में तरमीम करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।



निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

डॉ.
 औमिकाश वर्मा
 उपखण्ड अधिकारी
 सुजानगढ़ जिला चूरु

डिकरी व मुकदमें इत्दाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जम्मा दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)अज अदालत
व इजलास**उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस****किशनसिंह आदि बनाम भंवरसिंह आदि
राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन
मुकदमा न0 99 सन 2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु

- हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु अधिवक्ता, मिनजानिब मुद्ई व पैरोकार राज
मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
- वादी किशनसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छपर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोथियावास

ख.नं.	तदादी
194 मीन	1.3527 हैक्टेयर
198 मीन	0.7456 हैक्टेयर
199 मीन	2.2885 हैक्टेयर
200 मीन	1.3194 हैक्टेयर
63 मीन	1.2645 हैक्टेयर
125 मीन	0.1487 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.1954 हैक्टेयर

- वादी नारायणसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छपर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोथियावास

ख.नं.	तदादी
77 मीन	2.5835 हैक्टेयर
91 मीन	3.1130 हैक्टेयर
63 मीन	1.1130 हैक्टेयर
116 मीन	0.1395 हैक्टेयर
125 मीन	0.1487 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.1737 हैक्टेयर

- वादी सं. 4 रामपालसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा 1/2 व वादी सं. 5 पाबूसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा 1/2 राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छपर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-



उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

रोही ग्राम बोथियावास

ख.नं.	तदादी
63 मीन	7.0265 हैक्टेयर
116 मीन	0.1395 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.1660 हैक्टेयर

4. प्रतिवादी सं. 1 भंवरसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छपर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोथियावास

ख.नं.	तदादी
194 मीन	2.1626 हैक्टेयर
198 मीन	1.1511 हैक्टेयर
199 मीन	1.5808 हैक्टेयर
200 मीन	0.6279 हैक्टेयर
125 मीन	1.5676 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.0900 हैक्टेयर

5. प्रतिवादी सं. 2 शंकरसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छपर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोथियावास

ख.नं.	तदादी
77 मीन	3.8908 हैक्टेयर
91 मीन	1.7741 हैक्टेयर
113	0.0252 हैक्टेयर
117	0.2529 हैक्टेयर
116/264	0.0252 हैक्टेयर
118	0.0632 हैक्टेयर
125 मीन	0.1486 हैक्टेयर
116 मीन	1.0989 हैक्टेयर
63 मीन	0.0545 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल तादादी	7.4094 हैक्टेयर

6. प्रतिवादी सं. 3 सोहन कंवर पत्नी स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा 1/2 राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छपर व प्रतिवादी सं. 4 राजूसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बोथियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा 1/2 राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छपर के हिस्से व पांति की संलग्न नक्शे के अनुसार रखी जाती है:-

रोही ग्राम बोथियावास

ख.नं.	तदादी
77 मीन	1.3656 हैक्टेयर
91 मीन	4.3311 हैक्टेयर
63 मीन	1.2645 हैक्टेयर
116 मीन	0.1395 हैक्टेयर
125 मीन	0.1487 हैक्टेयर
114 मीन	0.0760 हैक्टेयर
कुल	7.3254 हैक्टेयर



उप खण्ड अधिकारी
सुजानगर

7. यह कि ख.नं. 114 तादादी 1.4162 है 0 में से मीन तादादी 1.1122 हैक्टयर रोही ग्राम बोधियावास का 1/6 हिस्सा वादी सं. 1 किशनसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छापर, 1/6 हिस्सा वादी सं. 2 नारायणसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छापर, 1/12 हिस्सा वादी सं. 4 रामपालसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु व 1/12 हिस्सा वादी सं. 5 पाबूसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 भंवरसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 शंकरसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छापर, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 सोहन कंवर पत्नी स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर व 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 राजूसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बोधियावास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु हिस्सा राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा छापर रखी जाती है। बैंक के हित को प्रभावित नहीं किया जाये तथा वर्तमान में किसी खातेदार द्वारा ऋण चुकता कर दिया गया है तो उसके रहन दर्ज नहीं किया जावे।
8. प्रतिवादी सं. 5 को आदेशित किया जाता है, कि मुताबिक निर्णय व राजीनामा के साथ नक्शों के दर्शितानुसार राजस्व रिकार्ड का विभाजन कर लगान कायम करें व नक्शे में तरमीम करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

चीज..... मुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह
.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक
..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 07 2025


उपखण्ड अधिकारी
ओडिसा सुजानगढ़

मुहर

मुद्दाई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकीलपर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना

